



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:—एफ13(10)पंरावि/विधि/न्याय/न्याय0/2015/1888

जयपुर, दिनांक 28/9/15

:::: मिटिंग नोटिस :::

दिनांक 04.09.15 को प्रातः 11.00 बजे मुख्यालय स्थित मीटिंग हॉल में विभाग के लंबित न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा हेतु जिला परिषद के समन्वयक अधिकारियों (Nodal Officers) की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आपके जिले से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में निर्धारित चारों प्रपत्रों की अद्यतन सूचना के साथ उपस्थित होने हेतु आपके जिले के संबंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जावे। बैठक में लंबित अभ्यावेदन के प्रकरणों की प्रगति, जवाब से शेष रहे व रेड कटेगरी से संबंधित पत्रावलियों सहित समस्त प्रकरणों की सूचना साथ लेकर आवे।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
3. उप विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. सहायक विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. समस्त संभागीय पंचायत प्रसार अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)